

**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।**  
उपस्थित:- अरुण सिंह -----(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या - 50/9/2016

सरकार-----अभियोजन,  
बनाम

- (1)-चरण सिंह पुत्र ताराचंद
- (2)-श्रीमती सुमित्रा पत्नि ताराचंद
- (3)-मनोज पुत्र ताराचन्द
- (4)-ताराचन्द पुत्र रामकिशन

समस्त निवासीगण-लहसवाडा, कस्बा देवबन्द, थाना व तहसील देवबन्द, जिला-सहारनपुर

-----अभियुक्तगण

धारा- 498A, 323, 504, 506 भा.द.सं.  
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि०  
मु.अ.सं.- 181/2014  
थाना- थानाभवन, जिला-शामली।

**निर्णय**

पुलिस थाना -थानाभवन के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 181/2014, अंतर्गत धारा- 498A, 323, 504, 506 भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० में अभियुक्तगण चरण सिंह, श्रीमती सुमित्रा, मनोज व ताराचन्द को तलब कर दण्डित करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती शशीबाला पुत्री श्री धर्मपाल सिंह निवासी - ईस्माइलपुर, थाना- थानाभवन, जिला शामली की शादी चरण सिंह पुत्र ताराचन्द निवासी मौ० लहसवाडा, कस्बा देवबन्द थाना व तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर के साथ दिनांक 13.02.2007 को ग्राम ईस्माइलपुर में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। प्रार्थिया की दो लड़कियां जिनका नाम क्रमशः पूजा (6 वर्ष) व भावना (चार वर्ष) प्रार्थिया की सास सुमित्रा, देवर मनोज, ससुर ताराचन्द, व पति चरण सिंह हर समय प्रार्थिया के साथ लड़ते-झगड़ते व मारपीट करते रहते हैं तथा प्रार्थिया से दहेज की मांग कर रहे हैं। प्रार्थिया के दोनों बच्चे अपने मायके ग्राम ईस्माइलपुर में पैदा हुये, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति खर्चा उठाने के लिए मना कर देते थे, तो प्रार्थिया मजबूर होकर अपने पिता के घर आ जाती थी और इस बीच में कई बार मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों ने चरणसिंह ताराचन्द मनोज व सास सुमित्रा को काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन बार-बार समझाने के बावजूद उपरोक्त व्यक्ति अपनी नाजायज हरकतों से बाज नहीं आये। प्रार्थिया का पति प्रार्थिया को हर समय गाली-गलौच व अभद्र व्यवहार करता है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक वर्ष पूर्व यानि 01.10.2012 से पूर्व भी प्रार्थिया के साथ उपरोक्त व्यक्तियों ने गलत हरकत की थी और दहेज की मांग की थी। जिससे दिनांक 01.10.2012 को प्रार्थिया का नोटरी तलाक नामा हो चुका था, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। परन्तु रिश्तेदारों एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों ने आपस में बैठकर फैसला करा दिया था और प्रार्थिया अपने पति के साथ देवबन्द जाकर रहने लगी। कुछ समय तक प्रार्थिया को ठीक-ठाक रखा लेकिन अब लगभग दो-तीन माह से प्रार्थिया के साथ गाली-गलौच व मारपीट करनी शुरू कर दी। प्रार्थिया अब पांच माह की गर्भवती है जिसको मार-पीट कर एक जोड़ी कपड़ों में घर से दिनांक 09.10.2013 को दोनों लड़कियों को अपने पास रखकर प्रार्थिया को घर से निकाल दिया और कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता। यदि यहां पर आये तो 50,000/- रुपये लेकर आना नहीं तो मैं नहीं रखूंगा, इससे लगभग चार-पांच माह पूर्व प्रार्थिया ने अपने पिता से 50,000/- रुपये लाकर दिये थे। जिनसे प्रार्थिया के पति ने एक मोटर साईकिल, टी.वी.एस. कम्पनी की ली। अब प्रार्थिया की उक्त चरण सिंह के साथ रहने में अपनी जान माल का खतरा बन गया है। कई बार उक्त चरण सिंह ने कहा कि मेरे संबंध बदमाशों से हैं। मैं तुम्हारा व तुम्हारे भाईयों का मर्डर करा दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में अपने पास नहीं रखूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा तथा प्रार्थिया पर गलत-गलत आरोप लगाता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिया को उपरोक्त चारों व्यक्तियों से रक्षा की जावे तथा चरण सिंह पुत्र ताराचन्द से भरण-पोषण, बच्चा होने का खर्च दिलाया जावे तथा उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जावे और कानूनी दण्डित कर कानूनी कार्यवाही की जावे तथा प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवार की जान माल की रक्षा की जावे।

वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना अभियुक्तगण चरण सिंह, श्रीमती सुमित्रा, मनोज व ताराचन्द के विरुद्ध धारा 498A, 323, 504, 506 भा.द.सं. व व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। अभियुक्तगण चरण सिंह, श्रीमती सुमित्रा, मनोज व ताराचन्द के विरुद्ध धारा 498A, 323, 504, 506 भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में साक्षी शशीबाला पत्नि चरण सिंह को बतौर पी०डब्लू० 1, श्रीमती संतोष पत्नि धर्मपाल को बतौर पी०डब्लू० 2, धर्मपाल पुत्र लालसिंह को बतौर पी०डब्लू० 3, बिजेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह को बतौर पी०डब्लू० 4 व सुशील कुमार पुत्र राम गोपाल को बतौर पी०डब्लू० 5 परीक्षित कराया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की। तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

### निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियोजन को साक्ष्य से संदेह से परे इन तथ्यों को साबित करना है कि प्रार्थिया श्रीमती शशीबाला पुत्री श्री धर्मपाल सिंह निवासी- ईस्माइलपुर, थाना- थानाभवन, जिला शामली की शादी चरण सिंह पुत्र ताराचन्द निवासी मौ० लहसवाडा, कस्बा देवबन्द थाना व तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर के साथ दिनांक 13.02.2007 को ग्राम ईस्माइलपुर में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। प्रार्थिया की दो लड़कियां जिनका नाम क्रमशः पूजा (6 वर्ष) व भावना (चार वर्ष) प्रार्थिया की सास सुमित्रा, देवर मनोज, ससुर ताराचन्द, व पति चरण सिंह हर समय प्रार्थिया के साथ लड़ते-झगड़ते व मारपीट करते रहते हैं तथा प्रार्थिया से दहेज की मांग कर रहे हैं। प्रार्थिया के दोनों बच्चे अपने मायके ग्राम ईस्माइलपुर में पैदा हुये, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति खर्चा उठाने के लिए मना कर देते थे, तो प्रार्थिया मजबूर होकर अपने पिता के घर आ जाती थी और इस बीच में कई बार मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों ने चरणसिंह ताराचन्द मनोज व सास सुमित्रा को काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन बार-बार समझाने के बावजूद उपरोक्त व्यक्ति अपनी नाजायज हरकतों से बाज नहीं आये। प्रार्थिया का पति प्रार्थिया को हर समय गाली-गलौच व अभद्र व्यवहार करता है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक वर्ष पूर्व यानि 01.10.2012 से पूर्व भी प्रार्थिया के साथ उपरोक्त व्यक्तियों ने गलत हरकत की थी और दहेज की मांग की थी। जिससे दिनांक 01.10.2012 को प्रार्थिया का नोटरी तलाक नामा हो चुका था, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। परन्तु रिश्तेदारों एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों ने आपस में बैठकर फैसला करा दिया था और प्रार्थिया अपने पति के साथ देवबन्द जाकर रहने लगी। कुछ समय तक प्रार्थिया को ठीक-ठाक रखा लेकिन अब लगभग दो-तीन माह से प्रार्थिया के साथ गाली-गलौच व मारपीट करनी शुरू कर दी। प्रार्थिया अब पांच माह की गर्भवती है जिसको मार-पीट कर एक जोड़ी कपड़ों में घर से दिनांक 09.10.2013 को दोनों लड़कियों को अपने पास रखकर प्रार्थिया को घर से निकाल दिया और कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता। यदि यहां पर आये तो 50,000/- रुपये लेकर आना नहीं तो मैं नहीं रखूंगा, इससे लगभग चार-पांच माह पूर्व प्रार्थिया ने अपने पिता से 50,000/- रुपये लाकर दिये थे। जिनसे प्रार्थिया के पति ने एक मोटर साईकिल, टी.वी.एस. कम्पनी की ली। अब प्रार्थिया की उक्त चरण सिंह के साथ रहने में अपनी जान माल का खतरा बन गया है। कई बार उक्त चरण सिंह ने कहा कि मेरे संबंध बदमाशों से हैं। मैं तुम्हारा व तुम्हारे भाईयों का मर्डर करा दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में अपने पास नहीं रखूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा तथा प्रार्थिया पर गलत-गलत आरोप लगाता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिया को उपरोक्त चारों व्यक्तियों से रक्षा की जावे तथा चरण सिंह पुत्र ताराचन्द से भरण-पोषण, बच्चा होने का खर्च दिलाया जावे तथा उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ महिला उत्पीडन के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जावे और कानूनी दण्डित कर कानूनी कार्यवाही की जावे तथा प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवार की जान माल की रक्षा की जावे।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 1 के रूप में शशी पत्नि चरण सिंह को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना अब से करीब 13-14 वर्ष पहले की है। मेरी शादी चरण सिंह पुत्र ताराचन्द के साथ धूम-धाम से हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। मेरे पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से मेरे ससुराल वालों को दान-दहेज दिया था। शादी के छः साल तक सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन किसी बात पर मेरा व मेरे पति का झगड़ा हो गया, जिससे नाराज होकर मैं अपने घर चली आई। काफी दिन में घर पर रही। मेरे ससुराल वालों ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। जिससे मैं व मेरे पिता भी काफी परेशान थे। मेरे पड़ोस के लोग अक्सर मेरे पिता जी को ताने मारते रहते थे, जिससे मेरे पिता जी अवशाम में चले गये थे और रिश्तेदारों के कहने में

आकर मुझसे एक तहरीर थाने पर दिलवा दी जिसे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उक्त तहरीर पत्रावली पर संलग्न है। जिस पर मैंने मात्र हस्ताक्षर किये हैं। उक्त तहरीर टाईपशुदा है। तहरीर किसने लिखवाई मुझे पता नहीं पता, मैंने सिर्फ हस्ताक्षर किये। टाईपशुदा तहरीर मुझे पढ़कर नहीं सुनायी गयी थी। मैं नहीं बता सकती कि तहरीर पर क्या लिखा है। पत्रावली पर संलग्न तहरीर देखकर गवाह ने कहा यह वही तहरीर है जो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये थे। जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। मेरे साथ मेरे ससुराल वाले जिनमें ससुर ताराचन्द पति चरण सिंह, मनोज देवर, सास सुमित्रा ने कोई गाली-गलौच नहीं की, कोई मारपीट नहीं की कोई अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की, न ही मुझे या मेरे बच्चों को घर से निकाला। अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और जिरह की अनुमति दी जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने लिये पी०डब्लू० 1. ने अपनी जिरह में कहा है कि दारोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था, मैं नहीं बता सकती कैसे लिख लिया। हाजिर अदालत मुल्जिम चरण सिंह एवं ताराचन्द व गैर हाजिर सुमित्रा, मनोज ने मेरे साथ कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की। न ही मारपीट की, न ही गाली-गलौच, न ही जान से मारने की धमकी दी। तहरीर टाईपशुदा थी। मुझे टाईप करने वाले ने पढ़कर नहीं सुनाया था। मैं हस्ताक्षर करती हूँ। मुझे नहीं पता तहरीर में क्या लिखा है। यह कहना सही है कि हमारा आपस में समझौता हो गया है। परन्तु यह कहना गलत है कि समझौते के कारण झूठी गवाही दे रही हूँ। यह भी कहना सही है कि मैं किसी दबाव या लालच के बिना न्यायालय में गवाही दे रही हूँ। मेरी सास सुमित्रा देवर मनोज, ससुर ताराचन्द व पति चरण सिंह ने मुझसे या मेरे घर वालों से दहेज की मांग नहीं की थी, न ही उपरोक्त अभियुक्तगण ने मेरे साथ कोई गाली-गलौच या जान से मारने की धमकी दी थी। न ही दहेज की मांग को लेकर चरण सिंह, सुमित्रा, ताराचन्द ने मेरे साथ कोई मारपीट या अतिरिक्त दहेज की मांग की थी।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 2 के रूप में श्रीमती संतोष पत्नि धरमपाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरी बेटी की शादी 13.02.2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। मेरे पति ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। शादी के सात साल बाद मेरी बेटी अपने पति से नाराज होकर घर चली आई और घर पर ही रहने लगी। उसके ससुराल वालों ने कभी मेरी बेटी के साथ मारपीट, गाली-गलौच या अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की और न ही जान से मारने की धमकी दी। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और अभियोजन को जिरह की अनुमति दी जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी०डब्लू० 02. ने अपनी जिरह में कहा है कि दारोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मैं नहीं बता सकती कि मेरा बयान दारोगा जी ने कैसे लिख लिया। यह कहना सही है कि हमारा आपस में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण मैं झूठी गवाही दे रही हूँ। हाजिर अदालत मुल्जिम चरण सिंह व ताराचन्द व गैर हाजिर सुमित्रा, मनोज ने मेरी बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट नहीं की थी, न ही गाली-गलौच या अतिरिक्त दहेज की मांग की थी।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 3 के रूप में धर्मपाल पुत्र लालसिंह को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरी बेटी की शादी 13.02.2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। शादी के सात साल बाद मेरी बेटी अपने पति से नाराज होकर घर चली आई और घर पर ही रहने लगी। उसके ससुराल वालों ने कभी मेरी बेटी के साथ मारपीट, गाली-गलौच या अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की और न ही जान से मारने की धमकी दी। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और अभियोजन को जिरह की अनुमति दी जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी०डब्लू० 3. ने अपनी जिरह में कहा है कि दारोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मैं नहीं बता सकता कि मेरा बयान दारोगा जी ने कैसे लिख लिया। यह कहना सही है कि हमारा आपस में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। हाजिर अदालत मुल्जिम चरण सिंह व ताराचन्द व गैर हाजिर सुमित्रा, मनोज ने मेरी बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट नहीं की थी, न ही गाली-गलौच या अतिरिक्त दहेज की मांग की थी।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 4. के रूप में बिजेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना कब की है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिस समय की घटना है, उस वक्त गांव के काम से मैं गांव के बाहर शहर गया हुआ था। शाम को मैं अपने घर वापस आया तो गांव वालों ने बताया कि धर्मपाल की बेटी घर वापस आ गई है। मेरे सामने कोई समझौता नहीं हुआ था, न ही कोई पंचायत हुई थी। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और जिरह की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी०डब्लू० 4 ने अपनी जिरह में कहा है कि गवाह को 161 द.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान दारोगा जी को नहीं दिया था। कैसे लिख

लिया नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुल्जिमान का वादी से समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि समझौते के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 5. के रूप में सुशील कुमार पुत्र रामगोपाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब सात वर्ष पहले मेरे चाचा की लड़की शशीबाला की शादी चरण सिंह से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद आपस में मनमुटाव होने के कारण वापस मायके आ गयी थी, जिसको पंचायत में समझा-बुझाकर ससुराल में भेज दिया था। उसके बाद मेरे सामने मेरे चाचा की लड़की कभी मायके वापस नहीं आई और न ही मेरे चाचा की लड़की के ससुराल वालों ने मेरे सामने या मेरी जानकारी में दहेज की मांग नहीं की थी, न ही मारपीट किया, न ही गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी दी थी। इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और जिरह की अनुमति दी जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी०डब्लू० 5 ने अपनी जिरह में कहा है कि गवाह को 161 द.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान दारोगा जी को नहीं दिया था कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुल्जिम का आपस में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि समझौते के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ। हाजिर अदालत मुल्जिम चरण सिंह व ताराचन्द तथा गैर हाजिर मुल्जिम सुमित्रा व मनोज को मैं अच्छी तरह से जानता व पहचानता हूँ। उपरोक्त ने मेरी चाचा की लड़की शशीबाला से कोई दहेज की मांग नहीं की, न ही गाली-गलौच की, न ही जान से मारने की धमकी दी। यह कहना सही है कि शशीबाला व उसके ससुराल वालों के विचार आपस में नहीं मिलते थे, लेकिन यह कहना गलत है कि मैं किसी डर, लालच या दबाव में आकर माननीय न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ। यह कहना सही है कि शशीबाला व चरण सिंह का आपस में फैसला हो गया है।

आपराधिक विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से साबित करें। साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 4 व पी०डब्लू० 5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन नहीं किया है।

उपरोक्त गवाहों के बयानों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचता है कि गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे मामला साबित नहीं होता है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण चरण सिंह, श्रीमती सुमित्रा, मनोज व ताराचन्द को अंतर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि०के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

#### आदेश

अभियुक्तगण चरण सिंह, श्रीमती सुमित्रा, मनोज व ताराचन्द को अंतर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 भा.द.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक: - 25.03.2021

(अरुण सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: - 25.03.2021

(अरुण सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।